

परिशिष्ट – 2 (संदर्भित पेरा–4)

प्रवेश के लिए आवेदन—पत्र का प्रारूप

विद्यालय का नाम...

आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों के प्रवेश हेतु
आवेदन—पत्र
(भाग—अ)

- प्रवेशार्थी की सूचना:-**
 - प्रवेश हेतु कक्षा 1.1
 - प्रवेशार्थी का नाम..... 1.2
 - लिंग 1.3
 - आधार न. (यदि उपलब्ध हो)..... 1.4
 - जन्म तिथि (अंको में) / / (शब्दों में) 1.5
 - जाति वर्ग (SC/ST/OBC/SBC/GEN) 1.6
 - प्रवेशार्थी का धर्म 1.7
 - क्या प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता (CWSN) श्रेणी मे आता है ? 1.8
 - प्रवेशार्थी के अभिभावक से सम्बन्धित सूचना:-**
 - पिता का नाम..... 2.1
 - माता का नाम..... 2.3
 - संरक्षक का नाम (यदि लागू हो)..... 2.5
 - आधार न. (यदि उपलब्ध हो)..... 2.2
 - आधार न. (यदि उपलब्ध हो)..... 2.4
 - आधार न. (यदि उपलब्ध हो)..... 2.6
 - क्या अभिभावक (BPL) श्रेणी के अन्तर्गत आते है ? 2.7
 - संरक्षक / अभिभावक (परिवार) की कुल वार्षिक आय (रूपये में) – 2.8
 - माता / पिता / संरक्षक का मोबाइल नं.
 - माता / पिता / संरक्षक का पुरा पता (संलग्न दस्तावेज के अनुसार):– 3.

प्रवेशार्थी का फोटो

ग्राम का नाम/वार्ड नं0..... पिन कोड.....
ग्राम पंचायत या नगर पालिका/परिषद/निगम का नाम,
ब्लॉक जिला.....

--	--	--	--	--	--

4. प्रवेशार्थी का वर्ग(संबंधित बॉक्स मे ✓ करें):—

4.1 दूर्बल वर्ग

4.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 ल

4.2 असविधायक्त समह

4.2.1 अनसचित जाति

३९
422 अनसचित जनजाः

4.2.3 बालक अनाथ आश्रम का नियम

4.2.4 बालक / बालक के माता / पिता या सु

4.3.5 बालक / बालक के साता / पिता या संरक्षक को सुर गस्त है।

4.2.6 वारंपर की मात्रा सब बिल्कुल है।

4.2.6 बालक का माता पुरुष परिवार है।

4.2.7 बालक निःशक्त जन आधानयम, 1995 के अन्तर्गत
विवेक शर्मा

विशेष आवश्यकता का श्रणा.....

पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक के

4.2.9. बीपीएल बीपीएल क्रमांक..... केन्द्र / राज्य सूची.....

5. निवास के सम्बन्ध में विकल्पः-

■ क्रांतिकारी जनसंघर्ष (शाही क्षेत्र के लिए) अथवा गाम (गामीण क्षेत्र के लिए) का चिनायी है जिसमें विद्यालय स्थित है।

पद्मा यालक उरा पाडु (सिराय यात्रा के लिए) उच्चयो ग्रान् (ग्रानीयान् यात्रा के लिए) का पाठ विषयात् विद्यालय रक्षत् है।

क्या बालक उस वाडे (शहर के क्षेत्र के लिए) अद्यवा ग्राम (ग्रामीण) है? (— नहीं है विरोध है विरोध है विरोध है विरोध है)

निकाय / ग्राम पंचायत का निवासा है जिसमें विद्यालय स्थित है।

नाटः—१ आयु, जाति, निवास स्थान, बोपाएल सूची, विकलागता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र सलग्न करना आवश्यक है।

2. बालक/बालका का आधार सख्त उपलब्ध न होने का स्थिति में आधार काड़ बनवाया जाना अथवा आधार काड़ हतु परायन करवाया जाना इस सुनिश्चित करें तथा यह नम्बर विभाग द्वारा विद्यालय के करवाए जाने वाले मौतिक सत्यापन से पूर्व सम्बन्धित विद्यालय को उपलब्ध करवा दें।

3. ऑनलाइन आवेदन में भी गई सूचनाओं के संलग्न दस्तावेजों से मिलान नहीं होने पर अथवा किसी दस्तावेज के अपूर्ण/गलत पाये जाने पर आवेदन पत्र/निशुल्क प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

4. आवेदन के समय बालक की जन्म तिथि हेतु जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज़ दिया गया है तो प्रवेश उपरान्त जन्म प्रमाण-पत्र बनवाकर विभाग द्वारा बालकों के भौतिक सत्यापन से पूर्व विद्यालय को उपलब्ध करवा दिया जाए।